By Speed Post

F.No. A-12018/14/2012-Ad.III (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Revenue
Central Board of Excise & Customs

Ground Floor, Hudco Vishala Building,
Bhikaji Cama Place, New Delhi, the 18th June, 2015.

To

The Director (CRCL) under CBEC (by name)
Hill Side Road, Pusa, New Delhi-12

Subject: Amendments to the Recruitment Rules for the post of Laboratory Assistant Grade-III, II and Instrument Maker in the CRCL under CBEC, after implementation of 6th CPC -reg.

Sir,

I am directed to invite attention to the 6th CPC recommendation and DOPT's guidelines that all the recruitment rules have to be revised accordingly RRs for aforesaid posts have been framed based on the Model RRs issued by the DOPT. Thereafter Recruitment rules for the aforesaid posts have been framed in consultation with Ministry of Law. A copy of the Gazette Notification issued vides GSR No.234 (E) dated 30.03.2015 is enclosed herewith for your kind information and necessary action.

Encl: As above.

Yours faithfully,

18.6.15
(Rajpal Singh)
Under Secretary to the Government of India
Tel/Fax: No. 26162780

Copy to: (i) webmaster, DG, Systems, C.R.Building, I.P.Estate, New Delhi-2 for uploading the same on the website of CBEC. (ii) DG, HRD for information and record.

18.6.15
(Rajpal Singh)
Under Secretary to the Government of India
Tel/Fax: No. 26162780

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 183] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 30, 2015/चैत्र 9,1937

No. 183] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 30, 2015/CHAITRA 9, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 मार्च, 2015

सा.का.नि.234(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय राजस्व अधीनस्थ रसायन सेवा (समूह 'ग' और समूह 'घ' पद) भर्ती नियम, 2004, जहां तक उनका संबंध प्रयोगशाला सहायक-2, प्रयोगशाला सहायक-3 और उपकरण निर्माता के पदों से है को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, केन्द्रीय राजस्व नियंत्रण प्रयोगशाला में समूह 'ग' के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :** (i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय राजस्व अधीनस्थ रसायन सेवा (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2015 है ।

(ii) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान** – पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएं** – उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

1438 GI/2015

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. **शिथिल करने की शक्ति** – जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखाबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति** – इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु–सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु–सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
प्रयोगशाला सहायक – 2	96* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड–1 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2400 रू0	अचयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षणिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रोन्नति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति :– ऐसा प्रयोगशाला सहायक–3 जिन्होंने वेतन बैंड 5200–20200/– रूपए + ग्रेड वेतन 1900/– रूपये मे आठ वर्ष नियमित सेवा की हैं। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) :–** 1. संयुक्त निदेशक – अध्यक्ष 2. रसायन परीक्षक श्रेणी–। – सदस्य 3. रसायन परीक्षक श्रेणी–2 – सदस्य	लागू नही होता।

व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. प्रयोगशाला सहायक – 3	117* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड–1 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 1900 रू0	लागू नही होता	18 और 25 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती हैं।) आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू– कश्मीर राज्य के लद्धाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: – किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय सहित 12 वीं या समतुल्य। वांछनीय:– एक विषय के रूप में रसायन सहित विज्ञान में बैचलर।	लागू नहीं होता	दो वर्ष।	कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) :– 1. संयुक्त निदेशक – अध्यक्ष 2. रसायन परीक्षक श्रेणी–I – सदस्य 3. रसायन परीक्षक श्रेणी–2 – सदस्य	लागू नही होता।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उपकरण निर्माता	1* (2015) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड–1 5200–20200 रू0 + ग्रेड वेतन 2000 रू0	लागू नही होता	18 और 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल की जा सकती हैं।) आयु–सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू–कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा–जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की दशा में आयुसीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी

					जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक:– किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से विज्ञान विषय सहित 12 वीं उत्तीर्ण या समतुल्य। वांछनीय:– उपकरण यांत्रिक/विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स यांत्रिकी इंजिनियरी में डिप्लोमा।	लागू नहीं होता	दो वर्ष	रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।

(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबध में विचार करने के लिए) :– 1. संयुक्त निदेशक – अध्यक्ष 2. रसायन परीक्षक श्रेणी–1 – सदस्य 3. रसायन परीक्षक श्रेणी–2 – सदस्य	लागू नही होता।

[फा.सं. ए.12018/14/2012–एडी.–III बी]
राजपाल सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th March, 2015

G.S.R. 234(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Revenues Subordinate Chemical Service (Group 'C' and Group 'D' posts) Recruitment Rules 2004, in so far as they relate to the posts of Laboratory Assistant-II, Laboratory Assistant –III and Instrument Maker, except as in respect things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts in the Central Revenues Control Laboratory, namely:-

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called the Central Revenues Subordinate Chemical Service (Group "C" posts) Recruitment Rules, 2015).

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and pay band and grade pay or pay scale:- The number of posts, their classification and the pay band and grade pay or pay scales attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc. - The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification - No Person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person, having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax:** - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so do to, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving:** - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the candidates belonging to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Pay band and grade pay or pay scale.	Whether selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Laboratory Assistant II	96* (2015) (*Subject to variation dependent upon workload).	General Central Service, Group "C", Non Gazetted. Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs.5,200-20,200/- with Grade Pay of Rs.2400/-	Non- selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotee.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation/ absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable	Not applicable.	By promotion.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation/ absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exist, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be Consulted in making recruitment
(11)	(12)	(13)
Promotion- Laboratory Assistant-III with eight years regular service in the pay band 1 of Rs.5,200-20,200/- with grade pay of Rs.1900/- Note: Where Juniors, who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered, provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of the qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher cadre along with their juniors, who have already completed such qualifying or eligibility service.	Group "C" Departmental Promotion Committee (For considering promotion) 1. Joint Director - Chairman 2. Chemical Examiner Grade- I - Member 3. Chemical Examiner Grade- II - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.Laboratory Assistant III	117* (2015) (*Subject to variation dependant upon workload.)	General Central Service, Group "C", Non Gazetted; Non-Ministerial.	Pay Band-1, Rs.5,200-20,200 with Grade Pay of Rs. 1900	Not applicable.	Between 18 and 25 years. Relaxable for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age-limit shall be the last date up to which the Employment Exchange are asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential – 12^{th} or equivalent with Science from a recognized University. **Desirable** – Bachelor of Science with Chemistry as One of the subjects.	Not applicable	Two Years	By Direct Recruitment through Staff Selection Commission.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group "C" Departmental Promotion Committee (For considering confirmation) :— Joint Director - Chairman Chemical Examiner Grade- I - Member Chemical Examiner Grade- II - Member	Not applicable.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Instrument Maker.	1* (2015) (*Subject to variation dependant upon workload.)	General Central Service, Group "C", Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Pay Band -1, Rs.5,200-20,200 with Grade Pay of Rs. 2000	Not applicable	Between 18-27 years. Relaxable for Government servants in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government. The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of application from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahual and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep). In case the appointment to the post is made through the Employment Exchanges, the crucial date for determining the age limit shall be the last date up to which the Employment Exchanges are asked to submit the names.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential – 12th Pass with Science or equivalent from a recognized Board or University **Desirable** - Diploma in Instrumentation/Electricals/ Electronics Mechanical engineering	Not applicable	Two Years	By Direct Recruitment through Employment Exchange.

(11)	(12)	(13)
Not applicable	Group "C" Departmental Promotion Committee (For considering confirmation) :— Joint Director - Chairman Chemical Examiner Grade- I - Member Chemical Examiner Grade- II - Member	Not applicable.

[F. No. A.12018/14/2012-Ad.III.B]

RAJ PAL SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.